जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
95/2016

पील सूचना अधिकार संख्या 95/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी निर्वाचन रजि0 पदाधिकारी, श्रीगंगानगर

10-01-2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 22.04.16 के द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर से सूचनांए चाही गयी थी जो उनके द्वारा बिन्दूवार सूचनांए उपलब्ध नही करवाई गई हैं, जो उसे उपलब्ध करवाए जाने का आदेश दिया जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

मैने अपीलार्थी के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 22.04.16 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः-

1. लोकसभा चुनाव विधान सभा चुनाव व नगरपरिषद चुनाव किसी मतदाता का चुनाव के दिन 2 वर्ष पूर्व वोट बना हुआ है परन्तु वह उस मकान में नही रह रहा है शहर से बाहर रह रहा है उसका वोट बीएलओ द्वारा अपनी जाचं रिपोर्ट में काटा जाकर दिखाया जाना आवश्यक है इस बाबत सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. मतदाता का जिस मकान में वोट बना हुआ है परंतु 2 वर्ष से बाहर रह रहा है उस स्थिति में मतदाता स्वयं ही वोट कटवाने के लिए कानूनन उतरदायी है या बीएलओ उतरदायी है इस बाबत सूचना व नियम की प्रतिलिपि

अपीलार्थी के अपील पत्र पर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने अपना जबाब सं0 1547 दि0 03.06.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही सूचना उनके कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र सं0 501 दिनांक 06.05.2016 के द्वारा नियत अवधि में उपलब्ध करवा दी गई थी। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 501 दिनांक 06.005.16 से अपीलार्थी को निम्न प्रकार से उत्तर प्रेषित किया गया हैः-

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

PTO

क.सं.	वाछिंत सूचना	प्रतिउत्तर
1.	लोकसभा चुनाव विधान सभा चुनाव व नगरपरिषद चुनाव किसी मतदाता का चुनाव के दिन 2 वर्ष पूर्व वोट बना हुआ है परन्तु वह उस मकान में नही रह रहा है शहर से बाहर रह रहा है उसका वोट बीएलओ द्वारा अपनी जाचं रिपोर्ट में काटा जाकर दिखाया जाना आवश्यक है इस बाबत सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।	जहां तक आप द्वारा चाही गई सूचनाएं उपलब्ध करवायें जाने का प्रश्ना है राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धार 2च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत सलाह, प्रेस–विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक संविदा रिपोर्ट कागजात, नमूने, माडल सम्बन्धी सामग्री शामिल है। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र प.22(16)प्रसू/सूअप्र/2010 जयपुर दिनांक 16.12.. 2011 में स्पष्ट किया गया है कि सूचना में क्यो प्रश्न के उत्तर सम्मिलित नही है। रिट पटीशन संख्या 419/2007 डा0 सेलसा पिण्टो बनाम गोवा राज्य में स्पष्ट किया गया है कि सूचना कि परिभाषा अपने दायरें में क्यों वाले प्रश्नो के उतर शामिल नही कर सकती। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना कि व्याख्या करना या काल्पनिक प्रश्नों के उतर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। चाही गई सूचना प्रश्नोत्तर के रूप में नही होनी चाहिए चूंकि खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नही आता है। अतः वांछित सूचना देय योग्य नही होने के कारण आपका प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
2.	मतदाता का जिस मकान में वोट बना हुआ है परंतु 2 वर्ष से बाहर रह रहा है उस स्थिति में मतदाता स्वयं ही वोट कटवाने के लिए कानूनन उतरदायी है या बीएलओ उतरदायी है इस बाबत सूचना व नियम की प्रतिलिपि	

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा बिन्दु सं0 1 व 2 तक की जो सूचनांए चाही गई है वह कोई निश्चित व स्पष्ट सूचना नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधरिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 06.05.2016 सही है फिर भी** सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए **निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधरिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर** को आदेश दिया जाता है कि वे अपने कार्यालय में **उपलब्ध अभिलेख के निरीक्षण हेतू आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की तिथी नियत कर अपीलार्थी को सूचित करे** और उस नियत तिथि पर अपीलार्थी को अभिलेख का निरीक्षण करवाया जावे और अपीलार्थी उपलब्ध अभिलेख में से जो भी सूचना ~~लेना चाहे वह उसे~~ नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजि० पदाधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

215-16
25-1-17

आदेश आज दिनांक 10.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर